**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर**

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–163/2026

C.N.R.NO–UPRP01–000632–2026

रजि० सं०–276/2026

अनिल उर्फ चवन्नी आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र श्री राम औतार निवासी ग्राम मीरापुर थाना स्वार जिला रामपुर उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

**आदेश**

1. आवेदक/अभियुक्त **अनिल उर्फ चवन्नी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–53/2026 धारा–331(4), 305 ए, 317(2) बी०एन०एस० थाना स्वार जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमती आशा देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा **थाने की आख्या** का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 01.02.2026 की रात्रि में वादी कुलदीप सिहं के खेत में बने टयूबेल के कमरे की दीवार काट कर पानी का मोटर हसरत अली, फईम व अनिल ले गये और महुआखेड़ा के चन्द्रपाल सिहं, शाकिर अली व फिरोज के मोटर उपरोक्त लोग खोल कर कहीं बेच दिये है, हसरत अली, फहीम व अनिल का यही धंधा है तथा आये दिन लोगों की चोरियां करते रहते हैं। उसकी मोटर को ले जाते हुये अमीर सिहं, अमरीक सिहं ने देखा है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा दिखायी गयी बरामदगी झूंठी व फर्जी है। कथित बरामदगी का जनता का कोई गवाह नहीं है। कथित घटना की रिपोर्ट 06 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। वह किसी न्यायालय से सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 दिन की देरी से हुई है। पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नही किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 07 वर्ष से कम का है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.02.2026 से जेल में निरूद्ध होना बताया गया हैं।

7. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

8. तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 50,000/–का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

9. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 10–03–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.12 12:43:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court